

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

की किशन सिंह विपक्षी शब्द

कस्म मुकदमा १९११६९५०० पत्रावली संख्या .. ६६/२५.. सन्

क्र	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>25/6/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 21/8/25 को पेश हो।</p> <p>21/8/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप 17/10 पेश के लिये नमूना चाहते है। अतः 21/8/25 अवकाश दिया जाकर पत्रावली दि 16/9/25 पेश हो।</p> <p>16/9/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाह अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	<p>(SDO) मावली</p>



सहायक कलेक्टर (SDO) मावली

